

रीख हुक्म

हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
राजस्व अपील मु.सं. 22/2017 रायसाहब बनाम स्टेट

25-07-2019

उभय पक्ष उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा गैर मुमकीन औरण भूमि पर अनाधिकृत रूप से पक्का मकान/चार दीवारी बनाकर अतिक्रमण किया गया है। लिहाजा अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया, जो शामिल पत्रावली की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय प्रति के साथ लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

11